भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 337
21 जुलाई**, 2023** को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बच्चों में कैंसर के मामले

337. कुंवर दानिश अली**:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में बच्चों में कैंसर के मामलों में पांच दशमलव अंक तक की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012 से 2019 के बीच कैंसर के कुल मामलों में से 7.9 प्रतिशत मामले14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सामने आए थे, जबकि 1990 के दशक में यह आंकड़ा सिर्फ 4 प्रतिशत था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामलों को रोकने के लिए जागरूकता, रोकथाम, स्क्रीनिंग और चिकित्सा उपचार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो बच्चों में कैंसर बढ़ने के क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो**.** एस**.** पी**.** सिंह बघेल**)**

(क): आईसीएमआर- राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार , वर्ष 2022 के लिए भारत में कैंसर के मामलों (0-14 आयु वर्ग) की अनुमानित संख्या 35,017 है।

(ख): आईसीएमआर कैंसर रजिस्ट्री डेटा रिपोर्ट "भारत में कैंसर की क्लिनिकोपैथोलॉजिकल प्रोफ़ाइल: अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रीज़ की एक रिपोर्ट, 2021" के अनुसार, देश में वर्ष 2012-2019 के मध्य पुरुष और महिला दोनों के लिए बचपन के कैंसर के मामलों का अनुपात 4.0% है।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समग्र संसाधनों के अधीन प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एनएचएम के तहत गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन और उपचार के लिए उचित स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा के लिए रेफरल के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है।

एनपी -एनसीडी के तहत, 724 जिला एनसीडी क्लिनिक, 210 जिला कार्डियक केयर इकाइयां, 326 जिला डे केयर सेंटर और 6110 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

बचपन से कैंसर रोग से पीड़ित रोगियों को जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थानों, केंद्र सरकार के अस्पतालों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज मिल रहा है। गरीब और जरूरतमंद रोगियों को सरकारी अस्पतालों में यह उपचार या तो मुफ्त है या अत्यधिक सब्सिडी पर किया जाता है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज बहुत व्यापक हैं, जिसमें दवाओं और नैदानिक सेवाओं जैसे उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। कैंसर का उपचार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध है ।

राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में उपचार हेतु सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराना है।

आईसीएमआर ने आईसीआईसीएलई "इंडिया कोलैबोरेटिव चाइल्डहुड ल्यूकेमिया ग्रुप" परीक्षण का समर्थन किया, जिसमें तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (एएलएल) ग्रसित बच्चों के उपचार के परिणामों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। एएलएल ग्रसित बाल रोगियों के उपचार में सुधार करने और इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की उत्तरजीवित दर में वृद्धि करने के लिए आईसीआईसीएलई परीक्षण कई राष्ट्रीय संस्थानों के बीच परस्पर किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस परीक्षण में नए उपचार क्षेत्रों और कार्यनीतियों का परीक्षण करने, उपचार को युक्तिसंगत बनाने और सभी प्रकार के एएलएल से ग्रसित बच्चों के लिए विषाक्तता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अध्ययन के परिणामस्वरूप जोखिम स्तरीकृत चिकित्सा के आधार पर एलल से ग्रसित सभी बाल रोगियों के प्रबंधन का एक समान मानकीकरण हुआ। जोखिम रहित उत्तरजीविता में 3-5% तक की वृद्धि हुई है और उपचार से जुड़ी मृत्यु दर में 25% की कमी आई है।

एनसीडी के निवारक पहलू को सामुदायिक स्तर पर आरोग्यता संबंधी कार्यकलापों और लक्षित संप्रेषण को बढ़ावा देकर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र योजना के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत मजबूत किया गया है। इसके अलावा, एनपी-एनसीडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वियन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार एनसीडी के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) हेतु कार्यों के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता देता है। हृदय रोगों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया आंदोलन चलाया जाता है, और आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।

*****